# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 56 / 2017

<u>उनवान</u>

(1) यशवन्त पिता रमण जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथुना।

(2) श्रीमती सुन्दर पत्नि स्व0 श्री रमण जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथुना।

—: वादीगण

**बनाम**

(1) श्रीमती भगवती पुत्री गोनिया जाति बलाई निवासी लोकिया हाल पोरड़ा तहसील अरथुना।

(2) श्रीमती मिनाक्षी पुत्री मणीया जाति बलाई निवासी कुवालिया तहसील अरथुना।

(3) श्रीमती मंजु पत्नि श्री मणीया जाति बलाई निवासी कुवालिया तहसील अरथुना।

(4) तहसीलदार, अरथुना जिला बांसवाड़ा।

(5) मणिया पिता भेमा जाति बलाई निवासी कुवालिया तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 16.12.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य विचाराधीन उक्त प्रकरण में निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अरथूना को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाने पर तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

<u>गमीरी पत्नि स्व0 श्री गोतिया, श्रीमती भगवती पुत्री गोतिया जाति बलाई के हिस्से में:—</u>

| खाता संख्या | सर्वे नम्बर | रकबा (हे0) |
|---|---|---|
| 227 (नया) 190 (पुराना) (जमाबन्दी संवत 2075 से 2078) | 35 | 0.05 |
| | 37 | 0.12 |
| | 703 | 0.11 |
| | 705 | 0.06 |
| | 707 | 0.09 |
| | 704 / 3 | 0.05 |
| | कुल किता 06 | कुल रकबा 0.48 |

<u>मिनाक्षी पुत्री मणिया व मंजु पत्नि मणिया जाति बलाई के हिस्से में:—</u>

| खाता संख्या | सर्वे नम्बर | रकबा (हे0) |
|---|---|---|
| 227 (नया) 190 (पुराना) (जमाबन्दी संवत 2075 से 2078) | 36 / 1 | 0.04 |
| | 38 / 1 | 0.13 |
| | [illegible] | 0.03 |
| | 704 / 1 | 0.03 |
| | कुल किता 04 | कुल रकबा 0.23 |

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

यशवन्त पिता रमण व सुन्दर पत्नि रमण जाति बलाई के हिस्से में:–

| खाता संख्या | सर्वे नम्बर | रकबा (हे0) |
|---|---|---|
| 227 (नया) 190 (पुराना) (जमाबन्दी संवत 2075 से 2078) | 36/2 | 0.05 |
| | 38/2 | 0.13 |
| | 705/2 | 0.03 |
| | 704/2 | 0.03 |
| | कुल किता 04 | कुल रकबा 0.23 |

तहसीलदार, अरथूना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव गांव पोरडा की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 की खाता संख्या 227 (नया) 190 (पुराना) के अनुसार नहीं होने पर तहसीलदार, अरथूना को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर तहसीलदार, अरथूना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद में प्रस्तुत सजरा अनुसार जमाबंदी में वादी–प्रतिवादी के हिस्से गलत दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 05 मणिया पिता भेमा अनुमानित् 16–17 वर्ष से लापता है। मणिया जीवित है अथवा नहीं के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिससे विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है। वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य नियमानुसार सह खातेदारो की वशांवली के अनुसार हिस्सा शुद्धि करने व खाते में मृत सहखातेदारान का विरासत के नामान्तरकरण दर्ज करने के पश्चात् पटवारा किया जाना सम्भव होना बताते हुए जवाब मय हाल जमाबंदी पेश की

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद–पत्र में वर्णित सजरा तथा वाद–पत्र के संलग्न प्रस्तुत ग्राम पोरडा की जमाबंदी संवत 2075 से 78 खाता संख्या 227 (नया) 190 (पुराना) व तहसीलदार, अरथूना द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में खातेदारो की वशांवली के अनुसार में हिस्सा दर्ज नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12. 2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

16.12.25 पत्रावली पेश हुई। जवाबदेह उपस्थित। प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेजों व भूमिधारी तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर प्रकरण में निर्णय पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम की जा कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner